



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

G26

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

संख्या:- 2584 / 12-1 देहरादून: दिनांक: 21 जून, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में भतरौंजखान निगराली भिकियासैण मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 0.963 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/11260/2015)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/50/2022/एफ0सी0 /296 दिनांक 26.07.2022।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 26.07.2022 के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 3170/12-1(2) दिनांक 04.06.2024 द्वारा बिन्दुवार आख्या प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	The location of beneficiary villages from the proposed road are not marked on the KML file. Accordingly, the State Govt. Is requested to mark the location of concern villages in KML file uploaded in the on line portal.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग से लाभान्वित होने वाले गांवों को के0एम0एल0 फाईल में दर्शा दिया गया है तथा ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
2	On proposal of the KML file, it is seen that on the left side of the proposed road an existing road/path is available at the starting point as well as at the end point of the proposed road. The state Govt. is requested to provide a detailed report regarding the existing road network available in the area along with the distance of each beneficiary villages from the existing road.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि के0एम0एल0 में प्रस्तावित मार्ग के Left Side esa PMGSY द्वारा नव निर्मित मोटर मार्ग का अन्तिम भाग दिखाई दे रहा है। प्रस्तावित मार्ग से लाभान्वित होने वाले गांव मझेड़ा, कुम्हार्ती व सौरे की PMGSY द्वारा निर्मित मार्ग से दूरियाँ क्रमशः 0.100 कि0मी0, 3.200 कि0मी0 व 4.900 कि0मी0 है।
3	The propose of the road is not justified by the state Govt. the end point of the proposed road is apporoximately 500 m away from the habitation. The state Govt. is requested to review the alignment and comment over it.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग के अन्तिम बिन्दु से बसावट (Habitation) 500 मीटर दूर नहीं है। इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि इस प्रस्तावित मार्ग से लाभान्वित होने वाले गांव सौरे 200 मीटर, कुम्हार्ती 100 मीटर एवं मझेड़ा 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।
4	The number of trees proposed to be felled in the proposed area of 0.983 ha area is very high. The State Govt. is requested to review the same and try to reduce the number of trees affected by the proposal.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग हेतु स्वीकृत समरेखण के अलावा अन्य कोई भी

		समरेखण से कम वन भूमि व कम वृक्ष प्रभावित हो। मार्ग निर्माण के समय प्रयास किया जायेगा कि कम से कम वृक्षों का पातन हो।
5	The data provided in the column of district profile at para 14 of online Part II seems to be inappropriate. Therefore, the state Govt is requested to review the same and do the necessary correction.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रभाग स्तर से आनलाईन पार्ट II में आवश्यक संशोधन कर लिया गया है।
6	NPV is calculated at older rates, State Govt. is requested to submit/upload NPV calculation sheet as per the new rates.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 शीट नवीन दरों के अनुसार तैयार कर आनलाईन पार्ट ८ के एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बिन्दु सं0 07 में अपलोड कर दी गयी है। जिसे पुनः संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
7	In the comparative chart submitted in the additional information details in part I, following additional information is required – 1. Number of trees affected in the proposed alignment vis-a-vi the alternate alignment. 2. Forest area affected in the proposed alignment vis-a-vi the alternate alignment.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पार्ट I में एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल् के कम्प्रेटिव चार्ट में निम्न विवरण अंकित कर दिया गया है। 1. प्रस्तावित समरेखण में 242 वृक्ष तथा वैकल्पिक समरेखण में 302 वृक्ष प्रभावित होते हैं। 2. प्रस्तावित समरेखण में 0.963 हेक्टेयर वन भूमि तथा वैकल्पिक समरेखण में 1.548 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होती है।
8	The details of area where the plantation of 2420 plants will be out is required to	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में प्रभावित वृक्षों के सापेक्ष रोपित होने वाले 2420 पौधों का रोपण रानीखेत वन क्षेत्र के अन्तर्गत सौली कक्ष सं0 20अ में चयनित किया गया है।
9	The proposal was first uploaded by the user agency in the year 2015 and is has come to the Regional Office after more than seven years. During this period, the actual situation must have changed. It is also evident form the KML file that all the habitations are already connected by road and there is no requirement of additional connectivity. The state Govt. may be requested to assess the requirement of the proposed road once again.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि के0एम0एल0 फाईल में प्रदर्शित हो रहा मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्मित किया गया है, जिससे मात्र मझेड़ा गांव ही आंशिक रूप से लाभान्वित हो रहा है। मझेड़ा गांव के अलावा अन्य दो गांवों (कुम्हारी व सौरै) को भी मोटर मार्ग की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित मार्ग का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,
(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 2584 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

294

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 3170 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 04/06/2024.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- अल्मोड़ा में भतरौजखान निगराली भिकियासैण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.963 हैठ वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/ 11260/2015.

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं० 08 वी/यू०सी०पी०/०६/५०/२०२२/एफ०सी०/२९६ दिनांक २६.०७.२०२२।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 5406/12-1 (2) दिनांक 13.05.2024 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय

(~~डॉ० कोको रासे~~)
वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

उ.सि.सं. / प्रभारी अल्मोड़ा

आ. का. कर, ।

पु. सं. सं. / मो. सं.
7-6-24

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि संरक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

पंजी० सं० 5354
पत्रा० सं० 12-1
दिनांक 12-6-24

14 MAY 2024

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 5406 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 13.05.2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय - जनपद अल्मोड़ा में भतरौंजखान निगराली भिकियासैण मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 0.963 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/11260/2015)

सन्दर्भ - भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक सं० 8बी०/यू०सी०पी०/०६/५०/२०२२/एफ०सी०/२९६ दिनांक २६.०७.२०२२ एवं आपका पत्रांक प०-५१२/१२-१(२) दिनांक ०६.०८.२०२२।


महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार, देहरादून द्वारा बिन्दु संख्या ०१ से ०९ में आपत्ति लगायी गयी है, जिसका निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन किया गया है, जो निम्नवत है :-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	The location of beneficiary villages from the proposed road are not marked on the KML file. Accordingly, the State Govt. is requested to mark the location of concern villages in KML file uploaded in the on line portal.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग से लाभान्वित होने वाले गांवों को के०एम०एल० फाईल में दर्शा दिया गया है तथा ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
2	On proposal of the KML file, it is seen that on the left side of the proposed road an existing road/path is available at the starting point as well as at the end point of the proposed road. The state Govt. is requested to provide a detailed report regarding the existing road network available in the area along with the distance of each beneficiary villages from the existing road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि के०एम०एल० में प्रस्तावित मार्ग के Left Side में PMGSY द्वारा नव निर्मित मोटर मार्ग का अन्तिम भाग दिखाई दे रहा है। प्रस्तावित मार्ग से लाभान्वित होने वाले गांव मझेड़ा, कुम्हार्ती व सौर की PMGSY द्वारा निर्मित मार्ग से दूरियाँ क्रमशः ०.१०० कि०मी०, ३.२०० कि०मी० व ४.९०० कि०मी० है।
3	The propose of the road is not justified by the state Govt. the end point of the proposed road is apporoximately 500 m away from the habitation. The state Govt. is requested to review the alignment and comment over it.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग के अन्तिम बिन्दु से बसावट (Habitation) ५०० मीटर दूर नहीं है। इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि इस प्रस्तावित मार्ग से लाभान्वित होने वाले गांव सौर २०० मीटर, कुम्हार्ती १०० मीटर एवं मझेड़ा ५० मीटर की दूरी पर स्थित है।
4	The number of trees proposed to be felled in the proposed area of 0.983 ha area is very high. The State Govt. is requested to review the same and try to reduce the number of trees affected by the proposal.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग हेतु स्वीकृत समरेखण के अलावा अन्य कोई भी समरेखण से कम वन भूमि व कम वृक्ष प्रभावित हो। मार्ग निर्माण के समय प्रयास किया जायेगा कि कम से कम वृक्षों का पातन हो।
5	The data provided in the column of district profile at para 14 of online Part II seems to be inappropriate. Therefore, the state Govt is requested to review the same and do the necessary correction.	प्रभाग स्तर से आनलाईन पार्ट II में आवश्यक संशोधन कर लिया गया है।
6	NPV is calculated at older rates, State Govt. is requested to submit/upload NPV calculation sheet as per the new rates.	एन०पी०वी० शीट नवीन दरों के अनुसार तैयार कर आनलाईन पार्ट II के एडिशनल


<p>In the comparative chart submitted in the additional information details in part I, following additional information is required –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Number of trees affected in the proposed alignment vis-a-vi the alternate alignment. 2. Forest area affected in the proposed alignment vis-a-vi the alternate alignment. 	<p>इन्फॉर्मेशन के विन्दु सं0 07 में अपलोड कर दी गयी है। जिसे पुनः संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।</p> <p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पार्ट I में एडिशनल इनफॉर्मेशन डिटेल् के कम्प्रेटिव चार्ट में निम्न विवरण अंकित कर दिया गया है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित समरेखण में 242 वृक्ष तथा वैकल्पिक समरेखण में 302 वृक्ष प्रभावित होते हैं। 2. प्रस्तावित समरेखण में 0.963 हेक्टेयर वन भूमि तथा वैकल्पिक समरेखण में 1.548 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होती है।
<p>8 The details of area where the plantation of 2420 plants will be out is required to</p>	<p>प्रस्ताव में प्रभावित वृक्षों के सापेक्ष रोपित होने वाले 2420 पौधों का रोपण रानीखेत वन क्षेत्र के अन्तर्गत सौली कक्ष सं0 20अ में चयनित किया गया है।</p>
<p>9 The proposal was first uploaded by the user agency in the year 2015 and is has come to the Regional Office after more than seven years. During this period, the actual situation must have changed. It is also evident form the KML file thal all the habitations are already connected by road and there is no requirement of additional connectivity. The state Govt. may be requested to assess the requirement of the proposed road once again.</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि के0एम0एल0 फाईल में प्रदर्शित हो रहा मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्मित किया गया है, जिससे मात्र मझेड़ा गांव ही आंशिक रूप से लाभान्वित हो रहा है। मझेड़ा गांव के अलावा अन्य दो गांवों (कुम्हार्ती व सौरे) को भी मोटर मार्ग की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित मार्ग का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।</p>

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

 प्रभागीय वनाधिकारी,
 अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम → अणुद अल्मीडा से विधानसभा क्षेत्र रानीयल के अन्तर्गत मत्स्योत्खान - अनापानी - बिहाली जंगल का विस्तार (क्षेत्र 16 से 20) स्वीकृत कर 5 किमी।

प्रारम्भिक बिन्दु → राण्ड - अनापानी - सईडा बाँहर रानी का जमीन 16.20 (सईडा) (वैकल्पिक समेखन)



साथ भूमि	3280 बी. 2.95
बेनाप भूमि	520 बी. 0.46
कन पचायत भूमि	1200 बी. 1.08

(वेकलिड्ड सारखण)

जनपद अल्मोडा में भतरौजखान निगराली भिकियासैण मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों की व्यासवार सूची

क्र. सं.	ब्लाक/कक्ष नाप/सि./व.प.	किस्म प्रजाति	मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों की व्यास श्रेणी से.मी. तथा मूल्य सूची								योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70 से ऊपर	
1	भिकियासैण, कुमारती (बेनाप)	चीड Pinus Roxburghii Sarg	-	-	8	20	60	-	-	88	
2	सौर, वन पंचायत	चीड Pinus Roxburghii Sarg	-	-	31	20	50	-	-	101	
3	सौर, बेनाप	चीड Pinus Roxburghii Sarg	-	-	18	35	60	-	-	113	
		कुल वृक्ष :-	-	-	57	75	170	-	-	302	

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोपोनिधि,
रनीखेत।

वन क्षेत्राधिकारी
मोहन वन क्षेत्र

अधियाती अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोपोनिधि,
रनीखेत।

भारतीय वन विभाग
अल्मोडा

पटवारी
क्षेत्र 22/23/24/25

उप विभाधिकारि,
भिकियासैण (अल्मोडा)

भिकियासैण
अल्मोडा